# राजस्थान सरकार
## वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (17) वन/2016 जयपुर, दिनांकः– 17 NOV 2016

**प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)**
**राजस्थान, जयपुर ।**

**विषयः–** Diversion of 0.1053 ha. of forest land in favour of Bharat Petroleum Corporation Limited for construction of approach road for proposed Retail Outlet of Bharat Petroleum Corporation Limited along SH-7, between chainage 136/924 to 136/964 LHS, Village Baklia, Tahsil Ladnun, District Nagaur, Rajasthan.

**संदर्भ :– प्रस्ताव संख्या (FP/RJ/ROAD/18679/2016)**

**महोदय,**

उपरोक्त प्रस्ताव में भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में राज्य मार्ग–7 के चेनेज 136/924 से 136/964 एलएचएस के मध्य ग्राम बाकलिया, तहसील लाडनू, जिला नागौर मे 0.1053 है0 वनभूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गयी थी। इस क्रम में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 22.08.2016 द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान के पत्रांक 2716 दिनांक 17.10.2016 द्वारा अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार, भारत सरकार के पत्र संख्या एफ.न. 11–9/98–एफसी दिनांक 03.01.2005, 13.02.2014 व भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 736 दिनांक 10.09.2014 से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा–2 में सामान्य स्वीकृति बाबत् जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.1053 ha. of forest land in favour of Bharat Petroleum Corporation Limited for construction of approach road for proposed Retail Outlet of Bharat Petroleum Corporation Limited along SH-7, between chainage 136/924 to 136/964 LHS, Village Baklia, Tahsil Ladnun, District Nagaur, Rajasthan की बिना वृक्षों के पातन की विधिवत स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
5. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेडों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर उनका स्वामित्व वन विभाग का होगा।
6. अगर शुद्व वर्तमान मूल्य की दरों में बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी की बढी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
9. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुणा संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जावेगा। उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के एक वर्ष के भीतर करना होगा।

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच स्थित स्थल (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
11. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षैत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।
12. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पेट्रोल पम्प के संबंध में जारी किये गये दिशा निर्देशों की पूर्णरूपेण पालन करेगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
15. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त की अनुपालन नहीं होने अथवा असंन्तोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
16. सैद्वांतिक स्वीकृति दिनांक 22.08.2016 में वर्णित शर्तो की सभी सम्बन्धित द्वारा पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

17/11/16

(योगेन्द्र कुमार दक)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर वन महानिदेशक–वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003।
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
5. उप वन संरक्षक, नागौर।
6. प्रबन्धक, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड सांगानेर इन्सटॉलेशन, सितापुरा इण्डट्रियल एरिया, टॉक रोड, सांगानेर, जयपुर–302022
7. रक्षित पत्रावली।

17/11/16

(कुमार स्वामी गुप्ता)
विशेषाधिकारी